न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : – श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. 34/2019

1 भिखाराम पुत्र परताराम जाति ढोली निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 काना पुत्र हरदेवा जाति ढोली निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
2 नानुडी पत्नी बृजलाल ढोली निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
3 बरजा देवी पत्नी केशराराम मेघवाल निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
4 मुकेश पुत्र तुलछाराम ढोली निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
5 संदीप पुत्र रामेश्वर ढोली निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
6 सुरेश पुत्र रामेश्वर ढोली निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
7 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार, तहसील कार्यालय बीदासर

प्रतिवादीगण

"दावा खाता विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती हेतू हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1	किशनलाल भादू एडवोकेट	–	अभिभाषक वादी
2	मोहम्मद शाहिद	–	अभिभाषक प्रतिवादी स. 4
3	पेरोकार राज.	–	प्रतिवादी स. 7

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:04:25 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 06–07–2020

1 वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के विभाजन हेतू दिनांक 11–6–2019 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार.....2 पर

Scanned with CamScanner

दावा वादी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 6 के सयुंक्त खातेदारी के दो खेत खसरा नम्बर 368 रकबा 9–10 बीघा (2.4029 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 369 रकबा 8–16 बीघा (2.2257 हैक्टेयर) कुल खसरे 2 कुल रकबा 18–06 बीघा (4.6286 हैक्टेयर) वाके रोही ग्राम दूंकर तहसील बीदासर में स्थित है। सयुंक्त खातेदारी में वादी का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ रहा है। वर्षो पूर्व मौखिक विभाजन के अनुसार वादी के 1/2 हिस्सा में वादगत खेत खसरा नम्बर 369 तादादी 8–16 बीघा (2.2257 हैक्टेयर) सम्पूर्ण व खेत खसरा नम्बर 368 तादादी 9–10 बीघा (2.4029 हैक्टेयर) में से 0.0886 हैक्टेयर यानि 0–07 बीघा खेत खसरा नम्बर 369 में पूर्वी और ख. न. 368 में पश्चिमी और की कुल तादादी 09 बीघा 03 बिश्वा (2.3143 हैक्टेयर) भूमि आई हुई है दिवार बनी हुई है खेत में पक्की ढ़ाणी बनी हुई है तथा अपने हिस्से में ट्यूबवैल बना रखा है वादी ने बिजली कनेक्शन ले रखा है ट्यूबवैल से सिंचाई करता है तथा पानी पीने के लिए दो कुण्ड भी बना रखे है तथा पशुओं के लिए सफा बना रखा है। वादी अपने हिस्सा मे आई हुई भूमि खसरा नम्बर 369 तादादी 2.2257 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 368 तादादी 2.4029 हैक्टेयर में से 0.0886 हैक्टेयर को अपने हिस्से में रखते हूए खाता व लगान अलग करवाना चाहता है। दिनांक 2/6/2019 को प्रतिवादीगण से विभाजन करवाने हेतू निवेदन किया तो स्पष्ट इन्कार हो गये। यही दावे का हैतुक है।

3 वादगत भूमि ग्राम दूंकर में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। विभाजन का दावा होने के कारण राजस्थान सरकार को प्रतिवादी सख्या 7 बनाया गया है अतः दावा वादी डिकी किया जाकर वादगत भूमि खसरा नम्बर 368 व 369 कुल तादादी 4.6286 हैक्टेयर रोही दूंकर तहसील बीदासर का विभाजन कर वादी के हिस्सा में खसरा नम्बर 369 तादादी 2.2257 हैक्टेयर यानि 8–16 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 368 तादादी 2.4029 हैक्टेयर यानि 9–10 बीघा में से पश्चिमी साईड़ की 0.0886 हैक्टेयर खसरा नम्बर के पूर्व साईड की चिपती कुल 2.3143 हैक्टेयर यानि 9–03 बीघा भूमि रखी जाकर खाता व लगान अलग कायम किया जाये।

4 वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी सख्या 6 की और से दिनांक 1–7–2020 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा पैरोकार राज प्रतिवादी सख्या 7 की ओर से कोई राज्यहित निहित नही होना जाहिर किया गया।

5 वादी की और से साक्ष्य वादी में पी. डब्ल्यू–1 भीखाराम के बयान करवाये गये व प्रदर्श–1 जमाबन्दी, प्रदर्श–2 नक्शा व प्रदर्श–3 राजीनामा साक्ष्य समर्थन में पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:04:25 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अभिभाषकगण व पैरोकार राज सुनी [illegible] [illegible]ली एवं राजस्व रेकार्ड का भलीभांती अवलोकन किया गया। [illegible] 2073–2076 के अनुसार वादगत खेत खसरा नम्बर 368 ता[illegible] खसरा नम्बर 369 तादादी 2.2257 हैक्टेयर कुल तादादी 4.6286 हैक्टेयर भूमि रो[illegible] [illegible]ाम दूंकर तहसील बीदासर वादी भीखाराम का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 1 कानी 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी

लगातार.....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

संख्या 2 नानुड़ी 5/183 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 3 बरजा देवी 163/732 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 4 मुकेश 97/840 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 5 संदीप 1/210 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 6 सुरेश 1/210 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 व 6 दिनांक 1-7-2020 को राजीनामा प्रस्तुत कर वादगत भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने की इस्तदुआ की है राजीनामा अनुसार

1. वादी के हिस्से में खेत खसरा नम्बर 369 तादादी 2.2257 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसरा नम्बर 368 तादादी 2.4029 हैक्टेयर में से 0.0886 हैक्टेयर पश्चिमी साईड की व ख. न. 369 के चिपती पूर्व और की कुल 2.3143 हैक्टेयर हिस्सा में रहेगी।
2. प्रतिवादी सख्या 1 के हिस्सा में खेत खसरा नम्बर 368 में 1/8 हिस्सा यानि 0.5785 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी कोने की हिस्सा में रहेगी।
3. प्रतिवादी सख्या 2 नानुड़ी का 5/183 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 3 बरजा देवी के हक हिस्सा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में रहेगा।
4. प्रतिवादी सख्या 3 बरजा देवी का 163/732 हिस्सा खसरा नम्बर 368 के उतरी पूर्वी कोने में हिस्सा में रहेगा।
5. प्रतिवादी सख्या 4 मुकेश, प्रतिवादी सख्या 5 संदीप, प्रतिवादी सख्या 6 सुरेश खेत खसरा नम्बर 368 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में मुताबिक हिस्सा पांती के हक हिस्सा में रहेगी।

वादी की और से बहस के दौरान कहा की राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 19 में भी यह निदेर्शित किया गया हे कि विभाजन के वाद के दौरान सहखातेदारों में कोई इकरार हो जाता है तो उसके अनुसार दावा डिक्री किया जायेगा। न्यायिक दृष्टान्त 1989 आर. आर. डी. पेज 547 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि विभाजन के वाद में पक्षकारान् में बन्टवारे के बाबत राजीनामा हो जाता है तो विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त एवं विभाजन के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 19 के मध्य नजर हस्तगत प्रकरण में सहखातेदारों के मध्य राजीनामा होकर खेत खसरा नम्बर 369 तादादी 2.2257 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 368 में पश्चिमी और की 0.0886 हैक्टेयर पश्चिमी साईड की व खसरा नम्बर 369 के चिपती पूर्वी और की कुल 2.3143 हैक्टेयर वादी के हिस्से में तथा खसरा नम्बर 368 की शेष भूमि प्रतिवादी सख्या 1 के 1/8 हिस्सा यानि 0.5785 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी कोने की हिस्सा में रहेगी, प्रतिवादी सख्या 2 नानुडी का 5/183 हिस्सा यानि 0.1265 हैक्टेयर प्रतिवादी सख्या 3 बरजा देवी के दक्षिणी पश्चिमी कोने में रहेगा, इस प्रकार प्रतिवादी सख्या 3 बरजा देवी का 163/732 हिस्सा यानि 1.0306 हैक्टेयर खसरा नम्बर 368 के उतरी पूर्वी कोने की हिस्सा में रहेगी, प्रतिवादी सख्या 4 मुकेश, प्रतिवादी सख्या 5 संदीप व प्रतिवादी स. 6 सुरेश खेत खसरा नम्बर 368 के पश्चिमी कोने में मुताबिक जमाबन्दी में हिस्सा मुकेश का 97/840 हिस्सा, संदीप का 1/210 हिस्सा, सुरेश का 1/210 हिस्सा खसरा नम्बर 368 के दक्षिणी पश्चिमी ... जाने व खाता व लगान विभाजन बाबत पेश होकर तस्दीक हो चुका है ... विभाजन किया जाना न्यायोचित है अतः दावा राजीनामा के अनुसार ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:04:25 IST
Reason: SelfAttested

लगातार....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

आदेश

दावा वादी बरूये राजीनामा प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर खेत खसरा नम्बर 368 व 369 की कुल तादादी 4.6286 हैक्टेयर भूमि रोही दूंकर तहसील बीदासर के सयुंक्त खाता व लगान का विभाजन करते हूए खसरा नम्बर 369 तादादी 2.2257 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 368 में से पश्चिमी और की 0.0886 हैक्टेयर पश्चिम साईड की खसरा नम्बर 369 के चिपती पूर्वी और की इस प्रकार कुल तादादी 2.3143 हैक्टेयर वादी भीखाराम के हिस्सा में तथा खेत खसरा नम्बर 368 तादादी 2.4029 हैक्टेयर में से 0.0886 हैक्टेयर निकालने के बाद शेष भूमि में से प्रतिवादी सख्या 1 के हिस्सा में खेत खसरा नम्बर 368 में 1/8 हिस्सा यानि 0.8785 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी कोने की हिस्सा में रहेगी, इसी प्रकार प्रतिवादी सख्या 2 नानुड़ी का 5/183 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 3 बरजा देवी के हक हिस्सा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में तादादी 0.1265 हैक्टेयर रहेगा, इसी प्रकार प्रतिवादी सख्या 3 बरजा देवी का 163/732 हिस्सा खसरा नम्बर 368 के उतरी पूर्वी कोने का 1.0306 हैक्टेयर रहेगा इसी प्रकार प्रतिवादी सख्सा 4 मुकेश, प्रतिवादी सख्या 5 संदीप व प्रतिवादी सख्या 6 सुरेश खसरा नम्बर 368 के पश्चिमी कोने में मुताबिक हिस्सा पांती मुकेश का 97/840 हिस्सा, संदीप का 1/210 हिस्सा, सुरेश का 1/210 हिस्सा हिस्सा पांती में रहेगा। तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे की मुताबिक राजीनामा प्रत्येक खातेदार के हक हिस्सा तक पंहूच का रास्ता कायम करते हूए जिस खातेदार की भूमि रास्ता में कम की जाती है वह भूमि कम करते हूए विभाजन प्रस्ताव व रास्ता का चिन्ह अंकन करते हूए इस न्यायालय में पेश करें। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करें। इस कदर प्रारम्भिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/7/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

श्योराम वर्मा
उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:04:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner